पहले तीन डाटा सेंटरों को ही बिजली आपूर्ति में प्रोत्साहन

राज्य मुख्यालय | विशेष संवाददाता

उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति-2021 के तहत पहले तीन डाटा सेंटर पार्कों को ही विद्युत आपूर्ति में निर्धारित प्रोत्साहन दिया जाएगा। भूमि के क्रय व पट्टे पर लेने पर स्टाम्प ड्यूटी में 100 फीसदी की छूट होगी। 200 करोड़ से ज्यादा निवेश के प्रस्तावों पर कैबिनेट की मंजूरी लेनी होगी।

आईटी व इलेक्ट्रॉनिक विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविन्द कुमार ने डाटा सेंटर नीति 2021 को लागू करने की नियमावली जारी कर दी है। डाटा सेंटर नीति 28 जनवरी को जारी की गई थी। इसके तहत 20 हजार करोड़ रुपए

● उप्र डाटा सेंटर नीति को लागू करने की शर्तें जारी

के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। नियमावली के तहत विद्युत आपूर्ति का प्रोत्साहन केवल उन्हीं डाटा सेंटरों को मिलेगा जो पहले लेटर ऑफ कम्फर्ट प्राप्त कर लेंगे। पहले तीन डाटा सेंटर पार्क को डबल ग्रिड लाइन से बिजली आपूर्ति की जाएगी। लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी होने के छह महीने के भीतर निवेशक को अपना निवेश शुरू कर देना होगा। इसके लिए बैंकों या केन्द्र सरकार द्वारा नियंत्रित वित्तीय संस्थान द्वारा तैयार की गई मूल्यांकन टिप्पणी (एप्रेजल नोट) भी देनी होगी।